



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937

No. 27]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/PAUSA 25, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2016

फा.सं.11/12/रेग/प्रोप/एफएसएसएआई-2016.- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 18 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के 'निजस्वमूलक (प्रोपराइटरी) खाद्य' से संबंधित विनियम 2.12 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

विनियम

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2016 है।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में, 'निजस्वमूलक (प्रोपराइटरी) खाद्य' से संबंधित विनियम 2.12 में, उप-विनियम 2.12.1 के स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात् :—

“2.12.1 : इन विनियमों के प्रयोजन के लिए,—

- निजस्वमूलक खाद्य से ऐसी खाद्य वस्तु अभिप्रेत है जो इन विनियमों के अधीन मानकीकृत नहीं की गई है परन्तु इसमें कोई नवीन खाद्य, विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य, प्रकार्यात्मक खाद्य, न्यूट्रास्युटिकल, स्वास्थ्य पूरक और खाद्य की ऐसी अन्य वस्तुएँ शामिल हैं जिनकी अधिसूचना केंद्रीय सरकार करेगी।

- (2) निजस्वमूलक खाद्य में खाद्य सहयोजकों के अलावा केवल वे अवयव होंगे जो इन विनियमों में मानकीकृत हैं या इन विनियमों के अधीन अन्य मानकीकृत खाद्य को तैयार करने में उपयोग हेतु अनुमत है।
- (3) निजस्वमूलक खाद्य में केवल उन योजकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें उस श्रेणी में विनिर्दिष्ट किया गया है जिससे वे संबंधित है और ऐसी श्रेणी का लेबल पर स्पष्ट रूप से उल्लेख इसके नाम, प्रकृति और संघटन के साथ किया जाएगा।
- (4) निजस्वमूलक खाद्य उत्पाद 'परिशिष्ट क' में निर्धारित खाद्य योजक उपबंधों और इन विनियमों के 'परिशिष्ट ख' में निर्धारित सूक्ष्मजैविकीय विनिर्देशों तथा इस अधिनियम के अधीन बने अन्य सभी विनियमों का अनुपालन करेगा।
- (5) खाद्य व्यवसाय संचालक निजस्वमूलक खाद्य की संरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।"

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./329]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा इनमें संशोधन किए गए:—

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा. सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा. सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा. सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा. सं. 1-83एफ/एससीआई° पीएएन-अधि°/एफएसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;
- (vi) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा. सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं.पी°15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015; और
- (xi) फा.सं.पी.15025/261/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2016

F. No. 11/12/Reg/Prop/FSSAI-2016.—In exercise of the power conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 18 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food safety and

Standards Authority of India, hereby makes the following amendment to the regulation 2.12 relating to 'Proprietary Food' of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:—

Regulations

1. **Shor title and commencement.** -(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, in regulations 2.12 relating to 'Proprietary Food', for the sub-regulations 2.12.1, the following shall be substituted, namely: -

“2.12.1: For the purpose of these regulations, -

- (1) Proprietary food means an article of food that has not been standardized under these regulations, but does not include any novel food, food for special dietary use, functional food, nutraceutical, health supplement and such other articles of food which the Central Government may notify in this behalf.
- (2) Proprietary food shall contain only those ingredients other than additives which are either standardised in these Regulations or permitted for use in the preparation of other standardised food under these Regulations.
- (3) Proprietary food shall use only such additives as specified for the Category to which the food belongs and such category shall be clearly mentioned on the label along with its name, nature and composition.
- (4) Proprietary food product shall comply with the food additives provisions as prescribed in Appendix A and the microbiological specifications as prescribed in Appendix B of these Regulations and all other Regulations made under this Act.
- (5) The Food Business Operator shall be fully responsible for the safety of the proprietary food.”

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./329]

Note.—The principle regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:—

- (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;
- (ii) F. No. P.15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;
- (iii) F. No. 5/15015/30/2012, dated the 12th July, 2013;
- (iv) F. No. P.15025/262/13-PA/FSSAI dated the 5th December, 2014;
- (v) F. No. 1-83F/Sci.Pan-Noti/FSSAI-2012 dated the 17th February, 2015;
- (vi) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 4th August, 2015;
- (vii) F. No P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (viii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (ix) F. No. 7/15015/30/2012, dated the 13th November, 2015;
- (x) F. No. P.15025/208/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015 and
- (xi) F. No. P. 15025/261/2013-PA/FSSAI, dated the 13th November, 2015.